

Filling no. RCS-A/406/2017

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 95 ए/2017

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)**

Filling no. RCS-A/406/2017

CNR no. MP30010037812017

सिविल वाद क्रमांक 95 ए/2017

मुंशी पुत्र अजान सिंह कुशवाह (काछी),
उम्र-60 वर्ष, निवासी-ग्राम छक्की लाल का पुरा,
छूछरी, तहसील व जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....वादी

///बनाम///

1. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, भिण्ड
2. एस0डी0ओ0, भिण्ड
3. नायब तहसीलदार वृत्त फूप, तहसील भिण्ड,
4. श्रीमती अनीता देवी पत्नी नरेन्द्र सिंह तोमर
सरपंच ग्राम पंचायत विण्डवा (छूछरी),
निवासी-तोमर का पुरा, छूछरी, तहसील व जिला-भिण्ड,
5. वेदप्रकाश शर्मा, उम्र-55 वर्ष,
सरपंच ग्राम पंचायत विण्डवा (छूछरी),
तहसील व जिला-भिण्ड
6. राजाराम पुत्र मानपाल कुशवाह, उम्र-50 वर्ष
7. रामस्वरूप पुत्र घमन्डी जाटव, उम्र-45 वर्ष
8. जन्डेल पुत्र घमन्डी जाटव, उम्र-35 वर्ष
9. अशोक पुत्र रामदयाल जाटव, उम्र-30 वर्ष
निवासीगण-ग्राम डरुअन का पुरा, छूछरी, तहसील व
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....प्रतिवादीगण

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री ए0बी0 टांक।
प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह भदौरिया शाशकीय अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 4, 6, 7, 8 व 9 द्वारा श्री जगदेव तिवारी अधिवक्ता।

///आदेश///

(आज दिनांक **12.09.2017** को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 2/17 का निराकरण किया जा रहा है।

2. इस तथ्य पर सारतः कोई विवाद नहीं है कि ग्राम छूछरी, तहसील व जिला भिण्ड स्थित भूमि पुराना सर्वे क्रमांक 225 बाद में तीन सर्वे नंबर 225/1, 225/2 व 225/3 में विभाजित हुआ, जिनमें से पुराना सर्वे क्रमांक 225/2 बंदोबस्त के बाद नया सर्वे क्रमांक 1160 क्षेत्रफल 0.690 हेक्टेयर बना। इस मामले में भूमि सर्वे क्रमांक 1160 क्षेत्रफल 0.690 हेक्टेयर का ही विवाद है, जिसे इस आदेश के आगामी प्रक्रम पर सुविधा की दृष्टि से **“विवादित भूमि”** से संबोधित किया जायेगा।

3. वादी का आवेदन यह है कि पुराना सर्वे क्रमांक 225 तत्कालीन जमींदार लल्ला सिंह से संवत् 2004 (सन् 1947) में लगान पर वादी के पिता अजान सिंह, चाचा भोगीराम व नेहने (आगे **“वादी के पूर्वज”** से संबोधित) ने प्राप्त की और बीहड़ से नौतोड़ कर उसमें फसल पैदा करते थे। दिनांक 02.10.1951 को लगभग चार वर्ष से वादी के पूर्वज का गैर मौरूसी के रूप में कब्जा चला आ रहा था, तदनुसार ही राजस्व खसरा संवत् 2004 (सन् 1947) में इन्द्राज भी किया गया था, संवत् 2008 (सन् 1951) में जमींदारी समाप्त होने पर वादी के पूर्वज पक्का कृषक हो गये और तदनुसार खसरा संवत् 2008 (सन् 1951) में प्रविष्टि की गयी। पटवारी ने खसरा संवत् 2018 से 2022 (सन् 1961 से 1965) में वादी के पूर्वज का नाम पक्का कृषक के रूप में अंकित न करते हुए विवादित भूमि को बीहड़ अंकित कर दिया, लेकिन वादी के पूर्वज का कब्जा बना रहा और उसी अनुक्रम में वादी का कब्जा आज भी बना हुआ है। वादी के पिता अजान सिंह के दोनों भाइयों भोगीराम व नेहने की मृत्यु के बाद वादी की पिता अजान ही उनके उत्तराधिकारी थे और केवल अजान सिंह का अकेले विवादित भूमि पर कब्जा था। आगे संवत् 2048 व 2050 (सन् 1991 व 1993) के राजस्व खसरा में वादी के पिता अजान का नाम अतिक्रामक के रूप में दर्ज कर दिया गया जो पूर्णतया गलत है और म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रवर्तन दिनांक 02.10.1959 से वादी के पिता अजान सिंह भूमिस्वामी हो गये थे। वास्तव में वादी के पिता अजान सिंह का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जाना चाहिए था, किन्तु राजस्व अभिलेखों में विवादित भूमि बीहड़ दर्ज कर वादी के पिता अजान सिंह का नाम नियम विपरीत तरीके से अतिक्रामक के रूप में दर्ज कर दिया गया। राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम बिना किसी सूचना के हटा दिया, वादी का अपने पूर्वजों के समय से करीब 65 वर्ष से विवादित भूमि पर कब्जा चला आ रहा है और कभी भी वादी व उसके पिता को म0प्र0 शासन द्वारा बेदखल नहीं किया गया है।

4. आगे आवेदन के तथ्य यह हैं कि दिनांक 01.01.1970 को ग्राम छूछरी के पटवारी व तहसील के तहसीलदार ने वादी के पिता को बेदखल करने की धमकी भी दी तब भी वादी के पिता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्होंने जमीन बीहड़ से नौतोड़ की है, जमींदार से पट्टा लिया है और उनका कब्जा है। इसके बाद तत्कालीन पटवारी, तहसीलदार चले गये थे और तब से वादी के पिता व उनकी मृत्यु

के बाद वादी का निर्विघ्न बिना किसी रोक-टोक के विवादित भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर भी वादी को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, अन्यथा भी म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रवर्तन के पूर्व से ही वादी के पूर्वज को विवादित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं और म०प्र० शासन वादी को बेदखल करने का अधिकारी नहीं है। पिछले पंचायत चुनाव में वादी ने वर्तमान सरपंच प्रतिवादी क्रमांक 4 अनीता देवी के विरोधी पक्ष का सहयोग किया था, जिससे वर्तमान सरपंच व उनके पति रंजिश रखने लगे और गांव की रोड पर लगी कीमती विवादित भूमि पर वादी के स्वत्व व कब्जा में हस्तक्षेप करते हुये वादी को बेदखल करने की नीयत से उस पर जबरन शासकीय भवन का निर्माण कराना चाहते हैं। दिनांक 22.05.2017 को प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि वादी अपना कब्जा छोड़ दे, इस पर शासकीय भवन का निर्माण कराया जायेगा और यह भूमि अभिलेखों में शासन की भूमि दर्ज है। वादी ने प्रतिलिपि प्राप्त की तो पता चला कि म०प्र० शास का भूमिस्वामी के रूप में गलत इन्द्राज कर दिया गया है, प्रतिवादीगण ने वर्तमान खसरा वर्ष 2016-17 की नकल भी वादी को देने से मना कर दिया और दिनांक 05.07.2017 को प्रतिवादीगणने मौके पर आंगनबाड़ी के निर्माण के लिए नाप-जोख प्रारम्भ कर दी। वादी ने विवादित भूमि को जोतकर उसमें बाजरा बो दिया है, प्रतिवादीगण ने वादी के विरुद्ध एस०सी०एस०टी० एक्ट का झूठा मामला भी दर्ज करवाने का प्रयास किया और अन्य तरीके अपनाकर वादी को बेदखल करने हेतु प्रयासरत् हैं। इस पर प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 को दिनांक 05.06.2017 को धारा 80 सी०पी०सी० की नोटिस भी दी गयी, जो प्रतिवादीगण को प्राप्त हो चुकी है और इसके बाद प्रतिवादीगण शीघ्रता से निर्माण कार्य हेतु प्रयासरत् हैं। प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है और यदि विवादित भूमि से वादी को बेदखल कर प्रतिवादीगण ने निर्माण कार्य कर लिया तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाये कि वाद के अंतिम निराकरण तक वादी के कब्जे में हस्तक्षेप न करे, वादी को उसके कब्जे की विवादित भूमि से बेदखल न करें और विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न करें।

5. प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 का जवाब संक्षेप में यह है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1160 पूर्व से ही म०प्र० शासन के नाम पर दर्ज है। वादी व उसके पिता का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है और न तो तथाकथित जमींदार लल्ला सिंह द्वारा कोई पट्टा दिया गया और न ही लल्ला सिंह को पट्टा देने का कोई अधिकार ही था। दिनांक 02.10.1951 को भोगीराम, नेहने व अजान सिंह का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं था, वे पक्के कृषक भी नहीं थे, विवादित भूमि जमींदारी के समय से ही शासन की है और राजस्व अभिलेखों में बीहड़ के रूप में दर्ज है। विवादित भूमि पर वादी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है, उक्त विवादित भूमि पर शासकीय प्राथमिक

विद्यालय दरुआ पुरा के दो पृथक-पृथक भवन बने हुये हैं और विवादित भूमि म0प्र0 शासन के स्वत्व की भूमि है। विवादित भूमि पर आंगनबाड़ी भवन ग्राम दरुआ पुरा का निर्माण प्रस्तावित है, वादी के पक्ष में कोई मामला नहीं है और झूठे व मनगढ़ंत आधारों पर संस्थित वाद में वादी के विजयी होने की कोई संभावना नहीं है। वादी का आवेदन स्वीकारयोग्य नहीं है और खारिज किया जाये।

6. प्रतिवादी क्रमांक 4 सरपंच अनीता देवी की ओर से प्रस्तुत जवाब संक्षेप में यह है कि वादी व उसके पूर्वजों का विवादित भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, विवादित भूमि म0प्र0 शासन के स्वत्व व कब्जे की भूमि है और उस पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय दरुआ पुरा के दो पृथक-पृथक भवन बने हुये हैं। आंगनबाड़ी भवन की तकनीकी स्वीकृति व प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर शासकीय भूमि चाही गयी थी, जिस पर आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य करने हेतु विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1160 का चयन किया गया और विधिवत् सीमांकन कर सीमा चिन्ह कायम किये गये हैं। ग्रामसभा की बैठक दिनांक 14.04.2016 को सभी ग्रामवासियों व बच्चों की सुविधा की दृष्टि से ग्राम सभा में विवादित भूमि का चयन किया गया है, प्रतिवादीगण द्वारा म0प्र0 शासन की भूमि पर आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है और वादी के पक्ष में कोई मामला नहीं होने से आवेदन खारिज किया जाये। प्रतिवादी क्रमांक 6, 7, 8 व 9 की ओर से प्रस्तुत जवाब संक्षेप में यह है कि विवादित भूमि म0प्र0 शासन की भूमि है, राजस्व अभिलेखों में पूर्व में विवादित भूमि बीहड़ के रूप में दर्ज रही और वादी और उसके पूर्वज का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है। विवादित भूमि पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है और वादी म0प्र0 शासन की कीमती भूमि हड़पना चाहता है। वादी पक्ष ने मौके पर प्रतिवादी क्रमांक 7, 8 व 9 का रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जातिसूचक गालियां दीं, इस संबंध में थाना फूप के अपराध क्रमांक 154/17 दिनांक 06.07.2017 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट भी लेख की गयी है। विवादित भूमि पर आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जा रहा है, अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने से लोक कल्याण का कार्य रुक जायेगा और आवेदन खारिज किया जाये।

7. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार**विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-**

8. वादी की ओर से दस्तावेज के रूप में धारा 80 सी0पी0सी0 की नोटिस, दिनांक 05.06.2017, संवत् 2008 (सन् 1951) का खसरा, संवत् 2018 से 2022 (सन् 1961 से 1965) का खसरा, बेजा कब्जा करने का (इन्कोचमेन्ट) रजिस्टर संवत् 2047 (सन् 1990-91), संवत् 2048 (सन् 1991-92), संवत् 2050 (सन् 1993-94), विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1160 की बंदोबस्त के दौरान तैयार रीनंबरिंग सूची की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त संवत् 2046 से 2050 (सन् 1989-90 से 1993-94) के खसरा, संवत् 2051 से 2055 (वर्ष 1994 से 1998) के खसरा की प्रमाणित प्रति, मौजीलाल पुत्र रामचरन व रामअवतार पुत्र किशोरी का शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

9. प्रतिवादी की ओर से दस्तावेज के रूप में खसरा संवत् 2071 से 2075 (वर्ष 2014-2015 से 2018-19) की प्रमाणित प्रति, विवादित भूमि पर आंगनबाड़ी निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति व धन के आवंटन के संबंध में दस्तावेज, ग्रामसभा के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं और उभयपक्ष की ओर से विवादित भूमि के फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये गये हैं।

10. इस मामले में वादी ने विवादित भूमि पर स्वत्व व कब्जे की घोषणा के मुख्य अनुतोष हेतु वाद संस्थित किया है। स्वत्व के संबंध में वादी का अभिवचन मुख्यतः दो बिन्दुओं पर आधारित है, प्रथमतः वादी का यह अभिवचन है कि विवादित भूमि पर लगातार 65 वर्षों से अधिक समय से निर्विघ्न व शांतिपूर्वक कब्जा के आधार पर वादी को प्रतिकूल कब्जा के सिद्धान्त के अनुसार भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो चुका है और द्वितीयतः वादी का यह अभिवचन है कि जमींदारी उन्मूलन के पूर्व वादी के पूर्वज का कब्जा होने से जमींदारी उन्मूलन व म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रवर्तन से वादी के पूर्वज भूमिस्वामी हो गये एवं तदनुसार वादी भूमिस्वामी है।

11. जहाँ तक विवादित भूमि पर प्रतिकूल कब्जा के सिद्धान्त के अनुसार वादी को विवादित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त होने के अभिवचन का संबंध है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टान्त गुरुद्वारा साहिब बनाम ग्राम पंचायत सिरथाला व अन्य (2014) 1 एस0सी0सी0 पेज 669 में स्पष्ट शब्दों में यह अवधारित किया है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर स्वत्व की घोषणा का दावा नहीं किया जा सकता है, यह भी अवधारित किया गया कि प्रतिकूल कब्जा मात्र एक ढाल है और इसका उपयोग विधि विरुद्ध तरीके से बेदखली के मामले में कब्जाधारी के द्वारा केवल बचाव के रूप में किया जा सकता है। उक्त न्यायदृष्टान्त में प्रतिपादित विधि के आलोक में इस मामले में विवादित भूमि पर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर स्वत्व की घोषणा हेतु

वादी द्वारा संस्थित इस सिविल वाद में प्रथम दृष्ट्या मामला भी वादी के पक्ष में नहीं माना जा सकता है और प्रतिकूल कब्जा के आधार पर स्वत्व की घोषणा नहीं की जा सकती है।

12. वादी का यह भी अभिवचन है कि जमींदारी के समय से ही विवादित भूमि वादी के पूर्वज को संवत् 2004 (सन् 1947) में तत्कालीन जमींदार लल्ला सिंह द्वारा पट्टा पर दी गयी थी, वादी के पूर्वज ने बीहड़ से नोतोड़ कर कृषि योग्य भूमि बनायी और संवत् 2004 (सन् 1947) के राजस्व अभिलेख में वादी के पूर्वज का नाम गैर मौरुसी के रूप में दर्ज भी किया गया। वादी का यह भी अभिवचन है कि संवत् 2008 (सन् 1951) के खसरा में विवादित भूमि पुराना सर्वे क्रमांक 225/2 पर पक्का कृषक के रूप में वादी के पूर्वज भोगीराम, नेहना व अजान का नाम दर्ज रहा है। अभिलेख पर प्रस्तुत राजस्व खसरा संवत् 2008 (सन् 1951) के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट है कि यद्यपि कि कॉलम नंबर-5 में पक्का कृषक के रूप में वादी के पूर्वज का नाम लेख है, किन्तु आगे कॉलम नंबर-24 व 25 (गैर मजरूआ भूमि का विवरण-अलावा जोत गैर खाते की) में बीहड़ अंकित है और ऐसा प्रतीत होता है कि विवादित भूमि को वादीगण के पूर्वज के खाते की भूमि से पृथक कर राजस्व अभिलेख में बीहड़ दर्ज किया गया है। संवत् 2018 से 2022 (सन् 1961 से 1965) के राजस्व खसरा में विवादित भूमि पुराना सर्वे नंबर 225/2 बीहड़ के रूप में स्पष्ट रूप से दर्ज है और स्वयं वादी ने इस तथ्य का अभिवचन करते हुए यह अभिवचन किया है कि पटवारी ने नियम विपरीत तरीके से वादी के पूर्वज के स्थान पर बीहड़ अंकित कर दिया है।

13. इस मामले में वादी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख बेकब्जा करने का (इन्कोचमेन्ट) रजिस्टर सन् 1990-91, सन् 1991-92 व सन् 1993-94 में वादी के पिता अजान सिंह का नाम विवादित भूमि पुराना सर्वे नंबर 225/2 पर अतिक्रामक के रूप में दर्ज है और खसरा संवत् 2046 से 2050 (सन् 1989-90 से सन् 1993-94) में भी वादी के पिता अजान सिंह का नाम अतिक्रामक के रूप में ही दर्ज है और खसरा संवत् 2051 से 2055 (सन् 1994 से सन् 1998) में भी वादी के पिता अजान सिंह का नाम विवादित भूमि पुराना सर्वे क्रमांक 225/2 पर अतिक्रामक के ही रूप में दर्ज है। इतने लम्बे समय तक कभी भी वादी का नाम विवादित भूमि के राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी या कब्जाधारी के रूप में दर्ज नहीं रहा है, स्वयं वादी के अभिवचन के अनुसार दिनांक 01.01.1970 को तत्कालीन पटवारी व तहसीलदार ने वादी के पिता अजान सिंह को विवादित भूमि से बेदखल करने की धमकी भी दी है और इसके बाद भी वादी या उसके पिता अजान सिंह ने विवादित भूमि पर विधि के प्रवर्तन द्वारा भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो जाने या कब्जा दर्ज कराने के संबंध में कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की है।

14. यहाँ यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि विवादित भूमि पर ग्राम दरुआ पुरा के प्राथमिक स्कूल का भवन निर्मित है, स्कूल भवन का निर्माण कराये जाते समय भी वादी ने या वादी के पिता अजान सिंह विधि के प्रवर्तन द्वारा भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है और स्वयं वादी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों के अनुसार विवादित भूमि पर वादी के पिता अजान सिंह का कब्जा अतिक्रामक के रूप में ही दर्ज रहा है। वादी के अनुसार उसके पिता अजान सिंह की मृत्यु 11 वर्ष पूर्व हो गयी, पिता अजान सिंह की मृत्यु के बाद भी वादी ने अपने पिता अजान सिंह के उत्तराधिकारी के आधार पर कब्जा अंकित किये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है।

15. वादी के विद्वान अधिवक्ता का बलपूर्वक तर्क है कि प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत धारा 248 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 के आदेश दिनांक 26.04.2017 में भी वादी का कब्जा मानते हुए अतिक्रमणी की बेदखली का आदेश किया गया है, किन्तु प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे कि यह प्रकट हो कि वास्तव में वादी को मौके पर बेदखल किया गया है। इस संबंध में यह उल्लेख करना सुसंगत है कि विवादित भूमि खुली भूमि (वैकेन्ट लैण्ड) है, नायब तहसीलदार द्वारा अतिक्रमणी की बेदखली का आदेश दिनांक 26.04.2017 को किया गया है और स्वयं वादी के अनुसार मौके पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। खुली भूमि के मामले में वास्तविक बेदखली की कोई भौतिक साक्ष्य नहीं होती है, इस मामले में विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण कार्य किये जाने का तथ्य अविवादित है और ऐसी दशा में इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि वास्तव में वादी को कभी बेदखल किया ही नहीं गया।

16. उक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों का निष्कर्ष यह है कि विवादित भूमि पर वादी के पिता अजान सिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में अतिक्रामक के रूप में दर्ज रहा है और अतिक्रामक के कब्जे को विधिक कब्जा या स्थापित कब्जा की मान्यता नहीं दी जा सकती है। राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/16-17/अ-68 में नायब तहसीलदार वृत्त फूप द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2017 से विवादित भूमि के अंशभाग 0.40 हेक्टेयर पर वादी को अतिक्रमणी मानते हुए बेदखली का आदेश किया गया है और वर्तमान राजस्व अभिलेखों में विवादित भूमि म0प्र0 शासन के स्वत्व की है जिसके कॉलम नंबर-12 में शासकीय स्कूल दर्ज है। यह स्थापित विधि है कि अतिक्रमणी के कब्जा को विधि द्वारा किसी भी रूप में संरक्षित नहीं किया जा सकता है और ऐसी दशा में प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में नहीं है।

17. वादी की ओर से मोहन बनाम नारायण सी0आर0 क्रमांक 377 वर्ष 1982 निर्णय

दिनांक 21.01.1983 (1982/1983 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 नोट 170), मध्य प्रदेश राज्य बनाम मोहनलाल (1983 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 नोट 8), मध्य प्रदेश राज्य बनाम हनीफ (1983 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 नोट 34) एवं श्रीमती सरबत जहां बेगम बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1991 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 नोट 124) प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सारतः यह विधि प्रतिपादित की गयी है कि यदि वादी का कब्जा है एवं स्वत्व के बारे में प्रथम दृष्ट्या आधार प्रकट हैं तो व्यादेश जारी किया जाना चाहिए। इस मामले में यद्यपि कि विवादित भूमि के अंशभाग 0.40 हेक्टेयर पर वादी का कब्जा रहा है, किन्तु यह कब्जा वादी के पिता अजान सिंह के समय से ही अतिक्रामक के रूप में रहा है और राजस्व अभिलेखों में भी वादी के पिता अजान सिंह का नाम अतिक्रामक के रूप में ही दर्ज रहा है। अतिक्रमणी की बेदखली का आदेश किया गया है, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर स्वत्व की घोषणा का दावा नहीं किया जा सकता है और ऐसी दशा में उक्त न्यायदृष्टान्तों के तथ्य इस मामले से भिन्न होने से प्रयोज्य नहीं हैं।

18. उक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों से वादी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है, विवादित भूमि पर लोकहित में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है और ऐसी दशा में सुविधा का संतुलन भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पक्ष में नहीं है। वादी का कब्जा अतिक्रामक के रूप में रहा है, ऐसी दशा में इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति भी नहीं होती है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 2/17 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)